

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0022 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
24/09/2024 16:58 hrs
2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))
1 PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 7
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Tuesday Date from (दिनांक से): 24/09/2024 Date To (दिनांक तक): 24/09/2024
Time Period (समय अवधि): Pahar 6 Time From (समय से): 15:20 hrs Time To (समय तक): 15:20 hrs
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/09/2024 Time (समय): 16:35 hrs
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 015 Date and Time (दिनांक और समय): 24/09/2024 16:43 hrs
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH, 35 Km Beat No. (बीट सं.): (s)
(b) Address (पता): सिटी कॉम्प्लैक्स, मेन गोहाना, रोहतक रोड निजद होन्डा शोरूम, गोहाना जिला सोनीपत
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): अजय कुमार
(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री रणजीत सिंह
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)

ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.) Address Type (पता का प्रकार) Address (पता)

1 Present Address

1428, सैक्टर 4 Ext रोहतक, ROHTAK, HARYANA, INDIA

2 Permanent Address

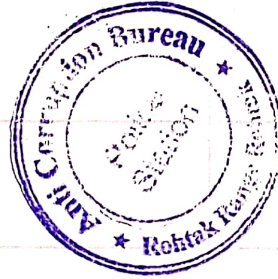
1428, सैक्टर 4 Ext रोहतक, ROHTAK, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8930303103

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	धर्मेन्द्र यादव Technical Assistant			1. FSD गोहाना जिला सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	रविन्द्र सैनी डीपो कर्लक			1. FSD गोहाना जिला सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA
3	विनोद इन्चार्ज धर्मकाटा			1. FSD गोहाना जिला सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA
4	प्रकाशचन्द मीणा पुर्व मनैजर Quality Control			1. FSD गोहाना जिला सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA



8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No.
(क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,
पुलिस अधिक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
रोहतक।
श्रीमानजी,



निवेदन यह है कि मैं अजय कुमार s/o श्री रणजीत सिंह निवासी मकान नं० 1428 सैक्टर 4 Ext. रोहतक का रहने वाला हूँ। मैं अपनी कम्पनी Northlay food Pvt. Ltd. का डायरेक्टर हूँ। मेरी कम्पनी ने गांव घिलोड खुर्द जिला रोहतक में अपनी राईस मील लगाई हुई है। जिसका GST NO 06AARCS137CB12C है। हमारी कम्पनी ने हरियाणा स्टेट व्हेयरहाउस कारपोरेशन रोहतक से CUSTOM MILLING POLICY (CMR 2023-24) के तहत राईस मिलिंग का अनुबन्ध किया हुआ है। जिसके तहत हमारे मील को 49170.75 क्विन्टल धान मिला हुआ है जिसका चावल तैयार करके हमें FCI डिपो गोहाना को चावल देना होता है। HSWC ने जो धान हमारे मील को दिया है उसका 67% चावल तैयार करके 1% FRK मिला कर देना होता है। तैयार शुदा चावल को हम ट्रक द्वारा लोड करके FCI डिपो गोहाना में चावल भेजते हैं। जो एक ट्रक में 580 बैग (50 KG प्रति बैग चावल) कुल 290 क्विन्टल चावल जाता है। 6 ट्रकों में जितनी मात्रा में चावल जाता वह एक स्टेज कहलाता है। जब भी ट्रक FSD गोहाना में जाता है तो सबसे पहले चावल की मात्रा को FSD गोहाना के धर्मकांटा पर वजन किया जाता है। उसके बाद चावल की बोरियो को डिपो में उतारा जाता है। उसके बाद क्वालिटी कन्ट्रोल के अधिकारी चावल की क्वालिटी को चेक करके सैंपल लेते हैं। सैंपल फेल होने पर चावल को वापिस कर दिया जाता है और सैंपल पास होने पर चावल डिपो में अन्दर स्टेज कर दिया जाता है। अब तक 112 ट्रक चावल मील द्वारा तैयार करके FSD गोहाना में लग चुके हैं। अब तक हमारे द्वारा कुल करीब 32480 क्विन्टल चावल FSD गोहाना में दिया जा चुका है। FSD गोहाना के कर्मचारी अलग-2 तरह से परेशान करके वजन गलत तोलने व 40 TON से ज्यादा ना तोलने का भय दिखा कर Quality Control वाले चावल के सैंपल फेल कर देने का भय दिखा कर व डिपो के कर्मचारी/अधिकारी अन्दर चावल न लगाने का या बारदाने में गाड़ी फेल करने का भय दिखाकर अलग-2 तरीके से भ्रष्टाचार करके रिश्त देने का दबाव बनाते हैं। राईस मील वालों को मजबूरी में उन लोगों को रिश्त देनी पड़ती है। ये मेरे व मेरी मील के मनेजर विनोद सिंह s/o श्री उज्जरण निवासी शितल नगर रोहतक से कई लाख रुपये रिश्त के तौर पर ले चुके हैं। जिनमें Quality Control का Technical Assistant धर्मेन्द्र यादव, डीपो कर्लक, रविन्द्र सैनी व धर्मकांटा इन्चार्ज विनोद शामिल हैं। इससे पहले प्रकाशचन्द मीणा पूर्व मनेजर QC भी हमसे रिश्त के पैसे ले चुका है। इनसे रिश्त के सम्बन्ध में मेरी व मेरे मनेजर विनोद से हुई वार्तालाप कि रिकार्डिंग भी मेरे व विनोद सिंह मनेजर के मोबाईल फोन में रिकार्ड है। हमारी मील से तैयार चावल कि कुछ गाड़िया अब भी FSD गोहाना में लगनी बकाया है परन्तु उपरोक्त आरोपीगण गाड़ी फेल करने का दबाव बनाकर मेरे से रिश्त देने की मांग कर रहे हैं। रिश्त व पैसे लेन देन के सम्बन्ध दिनांक 20/09/2024 को समय करीब 8.18 AM पर मेरी अपने मोबाईल नं० 8930303103 से धर्मेन्द्र यादव TA से उसके मोबाईल नं० 7083743066 पर WHATSAPP काल पर बात भी हुई थी उसको मैंने अपने दुसरे मोबाईल से रिकार्ड भी कर लिया था। उसके बाद डिपो में जाकर भी मैंने उक्त आरोपियों से बात की तो इन्होंने मौखिक तौर पर भी मेरे से रिश्त की मांग की। अब धर्मेन्द्र यादव 4 स्टेज यानी 24 गाड़ियों के एक लाख तीस हजार के लगभग मांग कर रहा है जिसमें से पचास हजार रुपये पहले हि दे चुका हूँ। रविन्द्र सैनी व विनोद धर्मकांटे वाला लगभग 70,000/- रुपये अब मेरे से रिश्त की मांग कर रहे हैं। रिश्त लेने में इन लोगों से अन्य कर्मचारी/अधिकारियों की भी मिली भगत है उपरोक्त आरोपी सभी का नाम के पैसे की मांग करते हैं। मैं उन लोगों को रिश्त नहीं देना चाहता हूँ और इनको रंगे हाथों पकवाना चाहता हूँ। रिश्त के सम्बन्ध में हमने जो रिकार्डिंग मोबाईल फोन में कि हुई है उनको मैं पैन ड्राईव में डालकर आपको बाद में पेश कर दूंगा। कृपा इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कि जावे। हस्ता

अंग्रेजी- AJAY KUAMR अजय कुमार M.8930303103 दिनांक 24-09-2024

कार्यवाही पुलिस- आज मन निरीक्षक हाजीर थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक हूँ। जो समय करीब 12:05 PM पर मो.न. 8930303103 से मन निरीक्षक के मो. न. 9253012055 पर कॉल आई। जिसने अपना नाम अजय कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह निवासी Sec.4 Ext. रोहतक बताते हुए अपना परिचय करवाया और मुझे बतलाया कि मेरी राईस मील है और गोहाना में कोई भ्रष्ट कर्मचारी उससे रिश्त की मांग कर रहे हैं। जो वह उनको विजलेंस के हाथों रैड करवाकर रंगे

हाथो पकड़वाना चाहता है। जो उच्च अधिकारियों ने रैड के लिए श्री मनदीप धरखड XEN नगर निगम रोहतक को स्वतंत्र गवाह/राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किया। जो श्री मनदीप धरखड से सम्पर्क करके उनको थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक में पहुँचने बारे हिदायत दी गई। जो कुछ समय बाद श्री मनदीप धरखड XEN अपने अधीनस्थ कर्मचारी नमीत कुमार क्लर्क नगर निगम रोहतक के साथ हाजिर थाना आये। जिनको राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किए जाने सम्बन्धित आदेश दिखालाए गये। श्री मनदीप धरखड XEN ने नियुक्ति आदेशों को सीन करके नमीत कुमार क्लर्क को रैड के लिए बतौर छाया गवाह नियुक्त किया। मन निरीक्षक द्वारा रैड के लिए टीम तैयार की गई जिसमें निरीक्षक भगत सिंह 560/RR, नि० मनोज कुमार 1136/RWR, SI संजीव 944/SPT, HC विकास 1824/RTK, ESI सहदेव 1629/FBD, HC नवीन 128/RTK, EHC प्रवीन न० 616/RTK, ESI वेद प्रकाश न० 129/JJR, मय गाडी सरकारी IIR 03GV-9489 व IIR 03GV-9636 चालक EHC अशोक 1467/PPT व HC/EASI संजय कुमार 555/DDR को मय रैडिंग कीट, लैपटॉप प्रिन्टर के रवाना निजद शिकायतकर्ता अजय कुमार होती हैं। जो मन निरीक्षक मय रैडिंग टीम मय गाडी सरकारियों के शिकायतकर्ता अजय कुमार के पास सिटी कॉम्पलैक्स, मेन गोहाना-रोहतक रोड निजद होन्डा शोरूम गोहाना पहुँची हैं। जो शिकायतकर्ता ने एक हस्त लिखित दरखास्त उपरोक्त पेश की। जिस पर शिकायतकर्ता ने मेरे सामने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए हैं। जो शिकायत के मजबूत व शिकायतकर्ता के फोन में ऑडियो रिकार्डिंग सुनने से जुर्म जेर धारा 7 PC ACT का सरजद होना पाए जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त ESI वेदप्रकाश न० 129/JJR के थाना भेजी जा रही है। बाद करने मुकदमा दर्ज नम्बर पर्चा से सुचित किया जाए व प्रथम सुचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को बजरिया स्पेशल मैसेन्जर/ई-मेल भिजवाई जाए। मन निरीक्षक रैड की आगामी कार्यवाही में मशरूफ होती हैं।

अज- सिटी कॉम्पलैक्स, मेन गोहाना रोहतक रोड निजद होन्डा शोरूम गोहाना

हस्ता अंग्रेजी PARMILA INSP

(प्रमिला) निरीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

रोहतक 24-09-2024

AT. 3.20 PM

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु० न० 22 दिनांक 24.09.2024 धारा 7 P.C Act 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्यूटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला को बजरिया स्पेशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरिया स्पेशल मैसेन्जर/मेल भेजी जाएगी। व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त ESI वेदप्रकाश न० 129/JJR की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक कर्मवीर सिंह न० 164/H की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Parmila Rank (पद): I (Inspector)
Devi
No. (सं.): 189SPT to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)



Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नमूना): Karmbir Singh

Rank (प): Inspector

No. 164/H

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1979				Is pox pitted: Yes
2	Male	1979				Is pox pitted: Yes
3	Male	1974				Is pox pitted: Yes
4	Male	1974				Is pox pitted: Yes